

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

संख्या :- 06

दिनांक : 13.3.2012

:: आदेश ::

अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बून्दी ने पत्रांक 2902 दिनांक 11.9.08 प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (CUPL) के अन्तर्गत अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग बी.टी.रोड लक्ष्मीपुरा से बून्दी कि.मी. 7/550 से 9/470 सड़क निर्माण में आ रही 1.92 हेक्टेयर वन भूमि के समतुल्य अन्य राजकीय सिवायचक भूमि प्रत्यावर्तन बाबत आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार बून्दी के पत्रांक 842 दिनांक 31.8.10 से उक्त सड़क में आ रही वन भूमि ग्राम लक्ष्मीपुरा के खसरा संख्या 868/43, 850/44, 870/45 व 873/47 में से 0.77 हेक्टेयर तथा ग्राम भरताबावडी के खसरा सं. 336 रकबा 1.15 हेक्टेयर किरम "झाड़ झंखाड़ वाले वन (चरागाह हेतु) राजकीय सिवायचक" भूमि सहित कुल 1.92 हेक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रेषित किये हैं।

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति पत्रांक प. 6(315) राज./ग्रुप-3/97 दिनांक 7.6.99 के अनुसरण में इस कार्यालय के पूर्व आदेश पृष्ठांकन एफ.8-5(10)राजस्व/94/1927-35 दिनांक 15.6.99 से चाकन सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के एवज में 289.53 हेक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि वन विभाग को दी गई थी। अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन परियोजना खण्ड बून्दी ने पत्र क्रमांक अ.अ./ज.सं.परि./तक/प-241/3117 दिनांक 3.2.09 से अवगत कराया कि चाकन लघु सिंचाई परियोजना में वन विभाग की कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई। फलस्वरूप उक्त आदेश से दी गई भूमि वन विभाग की धारा सुरक्षित है। मण्डल वन अधिकारी, बून्दी ने अपने पत्र क्रमांक एफ() वन संरक्षण/प.अ/09/1916 दिनांक 17.2.12 से चाकन सिंचाई परियोजना हेतु पूर्व में दी गई भूमि में से दिये जाने की राहमति प्रदान की है।

अतः वन विभाग को पूर्व में चाकन सिंचाई परियोजना हेतु दी गई 289.53 हेक्टेयर भूमि में से 1.92 हेक्टेयर भूमि का समायोजन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती है।


an
जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक एफ 8-5(44)राजस्व/03/ 964-70

दिनांक : 13-3-2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. मण्डल वन अधिकारी, बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी, बून्दी
4. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त, बून्दी
5. अधिशायी अभियन्ता, सा.नि.वि.खण्ड, बून्दी
6. तहसीलदार, बून्दी
7. आदेश पत्रावली



an
जिला कलक्टर, बून्दी